कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश कमांक 10/22–13 प्रशा0 (2) दिनांक, पंचकूला 06/11/2015

लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग, पंचकूला से प्राप्त पत्र कमांक टीए–(एटीआई)2015/925 दिनांक 05.10.2015 जो कि स्टेट एस0ए0एस0, भाग–1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना– 15वां कोर्स निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:–

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुडगांव।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. मुख्यालय के सभी स्थापना सम्बंधित शाखाओं के अधिकारी/अधीक्षक।
7. निजि सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
8. जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन–I, II एवं III
9. प्रोद्योगिकी अधिकारी (आई0टी0सैल) मुख्यालय।
10. अतिरिक्त निदेशक एन0वी0क्यू0एफ0 सैल।

अधीक्षक प्रशासन
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा
हरियाणा पंचकूला 04/11/2015

D:\MONA\JITIN SINGLA\CIRCULAR\SANCTION DOC

/60 Admn
28/X/15

प्रेषक

प्रधानाचार्य,
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
सिंचाई भवन, "बी ब्लाक", पंचम तल,
सैक्टर 5, पंचकूला ।
☎ : 0172–2573875

Commissioner & Director General Secondary Education Haryana PANCHKULA
Diary No. 27386
21 OCT 2015
CMS

सेवा में

The Director-General,
School Education,
Shiksha Sadan, Sector-5, Panchkula.

29.10.15

यादि क्रमांक टीए–(एटीआई)2015/926
दिनांक 05 अक्तूबर, 2015

AD-EP(Adm)
AD(Admn)

विषयः– **स्टेट एस0ए0एस0, भाग–1 के उम्मीदवारों को लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला में प्रशिक्षण देना – 15वां कोर्स ।**

28/X

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

2. आपको सूचित किया जाता है कि एस0ए0एस0 भाग–I के प्रशिक्षण का 15वां कोर्स **16 नवम्बर 2015 से 08 जनवरी, 2016** तक प्रायोजित किया जा रहा है । इसलिये आपसे अनुरोध है कि आप अपने विभाग व अपने अधीनस्थ कार्यालयों से कर्मचारियों के नाम रिकमैण्ड करके प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, सिंचाई भवन, 'बी' ब्लाक, पंचम तल, सैक्टर 5, पंचकूला को दिनांक 10.11.2015 तक भेजें । सिफारिश किये गये कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता कम से कम **'स्नातक'** तथा सरकारी नियमित सेवा **तीन वर्ष** या इससे अधिक हो । **जो कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–I का आठ सप्ताह का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है तो कृपया ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिये न भेजा जाये ।**

Supdt S Adm
Not for Adm 3
28/10/15
S Adm

3. नाम भेजते समय कृपया निम्नलिखित सूचना भी स्पष्ट रूप से भेजी जाये:–

1.	कर्मचारी की जन्म तिथि	
2.	सरकारी सेवा में आने की तिथि नियमित व तदर्थ सेवा का ब्यौरा अलग–अलग स्पष्ट करें ।	

3.	कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता	
4.	कर्मचारी के अन्तिम 10 वर्षो या यदि सेवा काल 10 वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल की गोपनीय रिपोर्टो का ब्यौरा :–	क. कुल रिपोर्टो की संख्या = ख. अच्छी, बहुत अच्छी तथा उत्कृष्ट रिपोर्टो की संख्या = ग. औसत रिपोर्टो की संख्या = घ. औसत से कम रिपोर्टो की संख्या = ड़ उन रिपोर्टो की संख्या जिनमें कर्मचारी की ईमानदारी पर सन्देह प्रकट किया गया हो =

4. केवल उन कर्मचारियों के नामों की सिफारिश की जाये जिनकी पिछले दस वर्षो, यदि सेवा काल दस वर्ष से कम हो तो कुल सेवा काल में **70 प्रतिशत** गोपनीय रिपोर्ट अच्छी/बहुत अच्छी/उत्कृष्ट हो और इस अवधि में जिनकी ईमानदारी कभी सन्देहयुक्त न रही हो । विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष कृपया यह भी स्पष्ट रूप से प्रमाणित करें कि जिन कर्मचारियों की वे इस कोर्स के लिये सिफारिश कर रहे है उनकी ईमानदारी कभी भी सन्देहयुक्त नहीं रही है ।

5. कर्मचारी के आवेदन पत्र कृपया अपनी सिफारिश के साथ इस संस्थान को भेजें । यह भी देखा गया है कि कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–I की परीक्षा के लिये नियत पुस्तकों के बिना ही आ जाते हैं और उनमें बहुत से नियमों की प्रारम्भिक जानकारी के बिना होते हैं और न ही वे अच्छी तरह से लिखने की क्षमता रखते हैं । पुस्तकों/नियमों की प्रारम्भिक जानकारी तथा लिखने की क्षमता के बिना उनके लिये ठीक प्रशिक्षण प्राप्त करना सम्भव नहीं होता । इसलिये आपसे अनुरोध है कि उम्मीदवार के नाम की सिफारिश करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित करें कि उनके पास निर्धारित पुस्तकें है और वे एस.ए.एस. परीक्षा को पास करने के लिये वास्तव में उत्सुक है और नियमों की जानकारी में रूचि और लिखने की पर्याप्त क्षमता रखते हैं तथा परिश्रमी है।

6. उन कर्मचारियों को, जिन्होंने किसी अन्य ऐसे पद, जिस पर नियुक्ति के कारण उन्हें प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना पड़े, के लिये आवेदन पत्र दिया हो, के नाम की सिफारिश न की जाये ।

7. कर्मचारियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता नियम 288 सी0एस0आर0, खंड–III तथा अन्य सम्बन्धित अनुदेशों के अधीन सम्बन्धित विभाग से मिलेगा ।

पूर्व कृपया आप फिर से देख ले कि यह कर्मचारी एस0ए0एस0, भाग–1 की परीक्षा देने के लिये सरकार द्वारा समय–समय पर बनाये हुये नियमों के अनुसार पूरी तरह से योग्य है । आप द्वारा ऐसे कर्मचारियों को इस संस्थान में भेजने से पहले नॉन–ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक **बांड** भी भरवाना होगा, जिसकी प्रति संलग्न है । इस बांड को आपने अपने कार्यालय में जिम्मेदार अधिकारी की देखरेख में सुरक्षित रखना है और इस संस्थान को इसकी फोटो प्रति भेजते हुये केवल उसकी सूचना देनी है कि यह बांड भरवा लिया गया है ।

10. प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने के लिये फिलहाल छात्रावास का कोई प्रबन्ध नहीं हैं और उन्हें प्रशिक्षण के दौरान यहां पर ठहरने के लिये प्रबन्ध स्वयं करना होगा। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को दोपहर का भोजन तथा दो समय चाय दी जाती है । यह परिपत्र Director, Treasuries and Accounts, Haryana की वैबसाईट (http://www.hrtreasuries.gov.in/) से भी डाउन लोड किया जा सकता है ।

(डा0 यू0एस0मलिक)
प्रधानाचार्य
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
पंचकूला ।

पृ0क्रमांक टीए–(एटीआई)–2015/926 दिनांक अक्तूबर, 2015

इसकी एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी बोर्डज़, निगमों व विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाती है । आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया उन कर्मचारियों का नाम रिकमैण्ड करके भेजें, जोकि 'निर्धारित शर्तो को पूरी करता हो । आप के कार्यालय द्वारा 4000/– रूपये टयूशन फीस की राशि ड्राफ्ट द्वारा इस प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के एक सप्ताह के अन्दर एकमुश्त जमा करवानी होगी । ड्राफ्ट प्रधानाचार्य, लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा, पंचकूला के पक्ष में देय होना चाहिये । प्रशिक्षण पर भेजने के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति लेना संस्थान/निगम/बोर्ड आदि की अपनी जिम्मेवारी होगी।

(डा0 यू0एस0मलिक)
प्रधानाचार्य
लेखा प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा,
खजाना तथा लेखा विभाग, वित्त विभाग,
पंचकूला ।

FORM OF BOND FOR GOVERNMENT EMPLOYEES PROCEEDING ON S.A.S. PART-I TRAINING IN THE ACCOUNTS TRAINING INSTITUTE, HARYANA, SINCHAI BHAWAN, "B" BLOCK, 5TH FLOOR SECTOR 5, PANCHKULA.

This indenture made this __________day of _____________two thousand fifteen between Shri/Ms ___________________________son/daughter/wife of Sh.____________________________ (hereinafter called the obligor which expression shall include his heirs, administrators, executors and legal representatives) of the one part and the Governor of Haryana (hereinafter called "the Govt.") which expression shall include his successors and assignees of the other part.

Whereas the obligor has been selected for undergoing training in connection with subordinate Accounts Service in the Accounts Training Institute, Haryana, Panchkula and the Govt. have agreed to bear all the expenses in relation to the said training and to make certain payments in the form of pay and allowances.

And whereas the conditions upon which the obligor has been selected to undergo training are that he will appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted by Government after the completion of his training except on medical grounds or due to other unavoidable circumstances for which he has to satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. of Haryana at least 5 years after undergoing the training in the Accounts Training Institute and in the event of breach of these conditions he will be liable to pay to the Govt. all expenses incurred by the Govt. on his training including pay and allowances etc. together with interest thereon at the rate for the time being in force on Govt. loans and that if he is declared successful in Subordinate Accounts Services Examination conducted by the Govt. his services will be placed at the disposal of the Director, Treasuries and Accounts Department, Haryana for posting against vacancies of Section Officers in the Department concerned.

Now this indenture witnesseth that for the consideration aforesaid, the obligor both hereby convenient to appear in the State Subordinate Accounts Service, Part-I Examination to be conducted immediately after the completion of his training except or medical ground or due to other unavoidable circumstances for which he will

satisfy his Head of Department and that he will serve the State Govt. at least for five years after undergoing the training in the Institution and in the event of any breach thereof, he will pay to the Govt. all the expenses incurred by the State Govt. on his training including pay and allowances etc. together with interest thereon at the rate for the time being in force on Govt loans.

In witness whereof the said ______________________________ (obligor's name) and ______________________________ for and on behalf of the Govt. have hereinto set their respective hands the pay and year first above written.

Signature & Designation of the Obligor

Signature by the said obligor in

The presence of : -

1. ____________________

2. ____________________

(Signature of witness)

signed by (Name and designation)

____

For and on behalf of the Govt. of

Haryana in the presence of: -

1. ____________________

2. ____________________

(Signature of witnesses)

Signature & Designation of the Officer